

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (II)

PART II—Section 3—Sub-section (II)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

RECEIVED
12/11/72
28/11

सं० ४७७] नई दिल्ली, शहर, नवम्बर ३, १९७२/ कार्तिक १२, १८९४
No. 477] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 3, 1972/KARTIKA 12, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

ORDER

New Delhi, the 3rd November 1972

S.O. 696(E)/IDRA/72.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby makes the following further amendment in the order of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development and Company Affairs (Department of Industrial Development) No. S.O. 4460/18A/IDRA/67, dated the 14th December, 1967, namely:—

In the said order, for paragraph 2 the following paragraph shall be substituted, namely:—

"2. The Board of Management shall consist of the following persons, namely:—

Chairman

1. Commissioner of Tirhut Division (Bihar)

Members

2. District Magistrate, Samastipur (Bihar)
3. Assistant Cane Commissioner, Northern Bihar, Muzaffarpur (Bihar)
4. Chief Director (Sugar and Vanaspati), Directorate of Sugar and Vanaspati Department of Food, New Delhi.

Member-Secretary

5. Managing Director of Samastipur Central Sugar Company Limited, Samastipur (Bihar)".

[No. 4/13/72-C.U.C.]

K. S. BHATNAGAR, Jt. Secy.

औद्योगिक विकास मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 3 नवम्बर, 1972

का० आ० 696(अ)/आई० डी० आर० ए०/72.—उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 क की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक विकास और कम्पनी कार्य मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का आ० 4460/18क/आई० डी० आर० ए०/67, तारीख 14 दिसम्बर, 1967 में निम्नलिखित और संशोधन एतद्द्वारा करती है, अर्थात् :—

उक्त आदेश में, पैरा 2 के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :—

“2. प्रबंध-बोर्ड में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :—

अध्यक्ष

1. आयुक्त, तिरहुत डिवीजन (बिहार)

सदस्य

2. जिला मजिस्ट्रेट, समस्तीपुर (बिहार)
3. सहायक गन्ना आयुक्त, उत्तरी बिहार, मुजफ्फरपुर (बिहार)
4. मुख्य निदेशक (शर्करा और वनस्पति),
शर्करा और वनस्पति निदेशालय, खाद्य विभाग, नई दिल्ली ।

सदस्य-सचिव

5. प्रबंध-निदेशक, समस्तीपुर, केन्द्रीय शर्करा कम्पनी लिमिटेड, समस्तीपुर (बिहार)”

[सं० 4/13/72-सी०यू०सी०]

के० एस० भटनागर, संयुक्त सचिव ।